जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V/181
17/9/23

क्रमांक:जविप्रा / उपा. जोन–8 / 2023 / डी– 3058

दिनांक:– 15/9/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल प्लान 10 की 30 मीटर सैक्टर सड़क (60 मीटर सैक्टर रोड़ में से निकलकर रिंग रोड़ को जोड़ने वाली 30 मीटर सैक्टर रोड़) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम असरपुरा तहसील सांगानेर जयपुर के खसरा नम्बर 476 / 1 रकबा 2.4400 हैक्टेयर में से 4939.17 व0मी0 के खातेदार श्री नरेन्द्र एवं प्रदीप पुत्रान् श्री रामकिशोर द्वारा जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति / आदेश / परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण / स्थगन / वाद विवाद / स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन–8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

—:सूचना:—

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	विनीता ठाकुर	मंजू कौशल	F-22-C	295.5	मित्र गृ.नि.स.स. लि.	सुमेर नगर विस्तार–एफ	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।
यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन–पी.आर.एन.(दक्षिण–द्वितीय)/2023/डी– 1942
दिनांक ....

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आमसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्री धनराज सिटी के भूखण्ड संख्या 134 क्षेत्रफल 286.50 वर्गगज का भूखण्डधारी द्वारा जोन मे पट्टा विलेख जारी करवाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त भूखण्ड ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 485 से प्रभावित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान मे जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.10.2014 के अनुसार उक्त विज्ञप्ति जारी की जा रही है। अतः उक्त भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/हितधारी/खातेदार को कोई आपत्ति है तो 7 दिवस में इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही करते हुए भूखण्डधारी को पट्टा विलेख जारी कर दिया जायेगा।

उपायुक्त,
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।
यू.ओ. नोटक्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन–पी.आर.एन.(दक्षिण–द्वितीय)/2023/डी– 1945
दिनांक 16-9-2023

Scanned with CamScanner